रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 1989/माघ 12, 1910
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 1989/MAGHA 12, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

P— 51789

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली 1 फरवरी 1989

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में दून घाटी में उद्योग लगाने खनन कार्य करने तथा अन्य विकासीय कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 (2)(5) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 (3) (घ) के तहत अधिसूचना।

का.आ. 102 (अ) — चूंकि उत्तर प्रदेश में दून घाटी में उद्योग लगाने, खनन कार्य करने तथा अन्य विकासीय कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के तहत दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 को का.आ. 923 (ई) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी

और चूंकि सभी प्राप्त आपत्तियों पर केन्द्रीय सरकार ने विधिवत विचार किया है

अतः अब उपर्युक्त नियमावली के नियम (5) के उप नियम (3) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दून घाटी जो कि उत्तर में मसूरी पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व में निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला से दक्षिण-पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रृंखला में दक्षिण पूर्व में गंगा नदी और उत्तर पश्चिम में यमुना नदी से घिरी है में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है।

(1) औद्योगिक इकाइयों का स्थान निर्धारण— पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर होगा चाहिए।

(2) खनन— किसी भी खनन कार्य को आरम्भ करने से पहले केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(3) पर्यटन—यह राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई तथा केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत की गई विकास योजना (टी डी पी) के अनुसार होना चाहिए।

(4) भराई—राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली तथा केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विधिवत स्वीकृत की गई योजना के अनुसार।

(5) भूमि उपयोग—पूरे क्षेत्र के विकास को वृहद योजना तथा भूमि उपयोग योजना के अनुसार जिसको राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाए तथा केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

[संख्या जे 20012/38/86-आई ए]

क. पा गीताकृष्णन, सचिव

अनुबंध

दून घाटी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की अनुमति देने/प्रतिबंध लगाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

पर्यावरण तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से दून घाटी में औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने/प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से नीचे बताए अनुसार हरी, संतरी, और लाल श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा :

श्रेणी हरी

क अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की सूची जिनपर पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजे बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीधे विचार किया जा सकता है। (संदेह होने पर, पर्यावरण और वन मंत्रालय को संदर्भ भेजा जायेगा।)

1 सभी ऐसे गैर हानिकारक और गैर खतरनाक उद्योग जिनमें लगभग 100 व्यक्ति नियोजित हों, हानिकारक तथा खतरनाक वे उद्योग हैं जो ज्वलनशील, विस्फोटक, क्षयकारी या विषैले पदार्थों का उपयोग कर रहे हों।

2 ऐसे सभी उद्योग जो प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक बहिस्राव विसर्जन नहीं करते हैं और जो निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसी को नहीं करते हैं।

एलेक्ट्रोप्लेटिंग
गालवेनाइजिंग
ब्लीचिंग
डिग्रीजिंग
फास्फेटिंग
रंगाई,
पिकलिंग, चर्मशोधन
पालिश करना
रेशा पकाना और डाइजेस्टिंग
फ्रेब्रिक की डिजायनिंग
बालों का विरोपण, तर-बतर करना, विचूर्णन तथा चर्म-कुंडन वस्त्र धुलाई।
फलो और सब्जियों की सजावट, तोड़ना, रस निकालना और वितर्ण करना,
उपकरणों और फर्श की नियमित धुलाई,
अधिक से अधिक जमने वाले जल का प्रयोग करना।
सपरेटा दूध, छाछ और वही का पानी।
अनाज भराई और प्रसंस्करण करना
एल्कोहल का डिस्टिलेशन, धानी वाष्पीकरण
पशुओं को मारना, हड्डियों की रेंडरिंग, मांस की धुलाई।
गन्ने का रस निकालना, चीनी फिल्ट्रेशन का निकाला जाना, सेंट्रिफ्यूगेशन डिस्टिलेशन
काफी बीन्स की पल्पिंग और फारमेंटिंग।
मछली प्रसंस्करण
20 कि लि प्रतिदिन क्षमता से अधिक डी एम संयत्रों में फिल्टर बैक वाश। लुगदी तैयार करना, लुगदी प्रसंस्करण और पेपर बनाना।
ब्लास्ट भट्टी फ्लू गैसों की कोयला धुलाई की कोकिंग।
प्लाक्साइड की स्ट्रिंग,
हाइड्रोलिक उत्सर्जन द्वारा प्रयुक्त पवन की धुलाई
लेटेक्स आदि की धुलाई।
सालवेंट निष्कर्षण

3 ऐसे सभी उद्योग जो अपने उत्पादन प्रक्रिया या किसी सहायक प्रक्रिया में ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तथा अविसरित स्वरूप के फ्यूजिटिव उत्सर्जन को नहीं छोड़ते हैं।

तीन मापदंडों में से किसी एक को पूरा न करने वाले उद्योगों की सिफारिश पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाती है।

निम्नलिखित उद्योग गैर-खतरनाक, अहितकर और गैर-प्रदूषक श्रेणी में आते है बशर्ते की वे उपरोक्त तीन शर्तों को पूरा करते हो :

1 आटा चक्कियां
2 चावल मुसली
3 बर्फ रखने के डिब्बे
4 दाल मिलें
5 मूगफली की छाल निकालना (शुष्क)
6 द्रुतशीतल
7 कपड़े सिलाई और वस्त्र बनाना
8 वेष-भूषा बनाना
9 सूती और ऊनी हौजरी
10 हथकरघा से बुनाई
11 जूते के तसमे बनाना
12 सोना और चांदी के धागे और साड़ी का काम
13 सोना और लोहारगिरी
14 चमड़े के जूते और चमड़े का सामान चर्मशोधन और खाल प्रसंस्करण को छोड़कर,
15 शीट ग्लास और फोटो फ्रेम से सीसा बनाना
16 संगीत संबंधी उपकरणों का उत्पादन
17 खेल संबंधी वस्तुएं
18 बांस और बेंत उत्पादन (केवल शुष्क कार्य)
19 गत्ता और कागज उत्पाद (कागज और लुगदी उत्पादन को छोड़कर)
20 पृथक्करण और अन्य कोटेड कागज (कागज और लुगदी उत्पादन को छोड़ दिया गया है।)
21 वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण
22 फर्नीचर (लकड़ी और इस्पात के)
23 घरेलू विद्युतीय उपकरणों का सज्जीकरण
24 रेडियो सज्जीकरण

25. फाउन्टेन पेन

26. एक्सट्रूशन/मोल्डिंग के जरिए पोलीथीन, प्लास्टिक और पी. वी.सी. वस्तुएं

27. सर्जिकल गौजेज तथा बैंडेज

28. रेलवे स्लीपर (केवल कंक्रीट)

29. सूत कताई और बुनाई

30. रस्सी (सूती तथा प्लास्टिक)

31. कार्पेट बुनाई

32. वातानुकूलनों का सज्जीकरण

33. धातुओं से तार, एक्सट्रेडेट शेप के पाइप बनाना

34. आटोमोबाइल सेवा और मरम्मत केन्द्र

35. साइकिल, बच्चा गाड़ी और अन्य छोटे मोटर वाहनों का सज्जीकरण

36. इलैक्ट्रानिक उपकरण (सज्जा)

37. खिलौने

38. मोमबत्तियां

39. बढ़ईगिरी-आरा मिल को छोड़कर

40. शीत भंडारण (छोटे पैमाने पर)

41. रेस्तरां

42. तेल-घोटाई/निकालना (गैर हाईड्रोजेनेशन और कोई परिष्करण नहीं)

43. आइस-क्रीम

44. खनिजीकृत जल

45. जाबिंग और मैथनिंग

46. इस्पात के ट्रंकों और सूटकेशो का निर्माण

47. पेपर पिन और यू-क्लिपें

48. ब्लाक बनाना और मुद्रण करना

49. ऐनकों के फ्रेम

श्रेणी संतरी

ख. उपयुक्त पर्यावरणीय नियंत्रण प्रबन्धों के साथ उन उद्योगों की सूची जिन्हें दून घाटी में अनुमति दी जा सकती है।

1. ऐसे सभी उद्योग जो कुछ द्रव्य बहिस्राव छोड़ते हैं (प्रतिदिन 500 कि.ली. से कम) जिन्हें उपयुक्त परख प्रौद्योगिकी से नियंत्रित किया जा सकता है।

2. ऐसे सभी उद्योग जिनमें कोयला/ईंधन की दैनिक खपत 24 मीटरी टन प्रति दिन से कम है और उपयुक्त परख प्रौद्योगिकी के साथ उत्सर्जनों को नियंत्रित किया जा सकता है।

3. ऐसे सभी उद्योग जिनमें 500 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति रोजगार में न हों।

परखी गई प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी को अपनाकर निम्नलिखित उद्योग इस श्रेणी में आते हैं बशर्ते कि वे उपर्युक्त तीन शर्तों को पूरा करते हों.

1. चूना उत्पादन परखे गए प्रदूषणनियंत्रण उपाय पर लंबित निर्णय तथा उत्खनन पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2. मृत्तिका-शिल्प

3. सफ़ाई के बर्तन

4. टायर और ट्यूब

5. रिफ्यूज इनसाइनरेशन (नियंत्रित)

6. आटा मिलें

7. वनस्पति तेल जिनमें विलायक अर्क तेल भी शामिल हैं

8. वाष्प क्वथन प्रक्रिया और सिंथेटिक डिटरजेंट फ़ार्मुलेशन के बिना साबुन

9. वाष्प पैदा करने वाले संयंत्र

10. कार्यालय और घरेलू उपकरणों का उत्पादन जिनमें जीवाश्म ईंधन ज्वलनशील का प्रयोग शामिल हो।

11. मशीनरियां तथा मशीन के औजारों और उपकरणों का उत्पादन

12. औद्योगिक गैसें (केवल नाइट्रोजन, आक्सीजन और कार्बनडाईआक्साइड)

13. जीवाश्म ईंधन ज्वलनशील के उपयोग के बिना विविध कांच के बर्तन

14. ऐनक का शीशा

15. प्रयोगशाला के बर्तन

16. पेट्रोलियम भंडारण एवं हस्तांतरण सुविधाएं

17. शल्य और चिकित्सा उत्पाद, जिनमें रोगनिरोधी और क्षीर उत्पाद शामिल हैं।

18. जूते (रबड़)

19. बेकरी उत्पाद, बिस्कुट और मिष्ठान्न

20 इन्स्टैंट चाय/काफ़ी, काफ़ी प्रसंस्करण

21. माल्टेड खाद्य

22. बिजली से चलने वाले पंपों, कम्प्रेशरों, रेफ्रिजरेशन यूनिटों, अग्नि शमन उपकरण आदि का उत्पादन

23. तार खींचना (शीत प्रक्रिया) तथा बेलिंग स्ट्रेप्स

24 इस्पात के फ़र्नीचर, कसनी आदि

25. संसाधित प्लास्टिक वस्तुएं

26. चिकित्सा और शल्य उपकरण

27. एसिटिलीन (सिंथेटिक)

28. ग्लू और जेलिटिंग

29. पोटाशियम परमैंगनेट

30. धात्विक सोडियम

31. फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्में, पेपर और फ़ोटोग्राफ़िक रसायन

32. लकड़ी कोटिंग उद्योग

33. फेरनेसिस, फ़ेरोरस और खाद्य भोज्य

34. प्लांट न्यूट्रियंट्स (केवल खाद्य)

35. वातित जल/नरम पेय

टिप्पणी:

(क) उपर्युक्त अभिनिर्धारित सूची में आने वाले उद्योगों का मूल्यांकन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और "माप" प्रमाण पत्र देने से पहले केन्द्रीय पर्यावरण विभाग को विचारार्थ भेजे जाने चाहिए।

(ख) ईंधन का प्रयोग करने वाले कुल उद्योगों की संख्या जिन्हें इस घाटी में अनुमति दी जाएगी, को अधिकतम प्रतिदिन 8 टन या सभी स्रोतों से सल्फ़र डाई आक्साइड सीमित की जायेगी। (यह 1 प्रतिशत सल्फ़र सहित प्रतिदिन 400 टन कोयले के अनुरूप हैं)

(घ) औद्योगिक क्षेत्रों का स्थान निर्धारण सुदृढ़ मापदंड पर आधारित होना चाहिए।

ग्रेगुरी काल

ग. उन उद्योगों की सूची, जिन्हें दून घाटी में अनुमति नहीं दी जा सकती है।

1. वे सभी उद्योग जो प्रतिदिन 500 कि.ली. से अधिक की दर से प्रदूषक स्वरूप के बहिःस्रावों का विसर्जन करते हों और जिनके लिए पर्याप्त अवमिश्रण के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

2. ऐसे सभी उद्योग, जिनमें 600 व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक नियोजित हों।

3. ऐसे सभी उद्योग, जिनमें कोयला/ईंधन की दैनिक खपत 24 मी. टन/प्रति दिन से अधिक न हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित उद्योग उपर्युक्तानुसार सभी बिन्दुओं द्वारा इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

1. फेरस और नान-फेरस धातु निष्कर्षण, प्रसंस्करण, शोधन, ढलाई, सम्मिश्रण प्रसंस्करण आदि।
2. शुष्क कोयला प्रसंस्करण खनिज प्रसंस्करण उद्योग जैसे अयस्क सिंटरिंग बेनिफिकेशन, पेलिटाइज़ेशन आदि।
3. फास्फेट राक प्रोसेसिंग संयंत्र
4. सभी रोटरी भट्टी सहित सीमेंट संयंत्र
5. शीशा और शीशा उत्पाद जिसमें कोयले का उपयोग शामिल हो।
6. पेट्रोलियम रिफाइनरी
7. पेट्रो-रसायन उद्योग
8. चिकनाई करने वाले तेल और ग्रीस का उत्पादन
9. कृत्रिम रबड़ उत्पादन
10. कोयला, तेल, लकड़ी या अणु आधारित ताप विद्युत संयंत्र
11. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वनस्पति, हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल
12. चीनी मिलें (सफेद और खांडसारी)
13. दस्तकारी पेपर मिलें
14. कोक ओवन बाई प्रोडक्ट्स एंड कोल्टर डिस्टिलेशन प्राडक्ट्स
15. क्षारीयता
16. कास्टिक सोडा
17. पोटाश
18. इलेक्ट्रो-थर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक कैल्शियम कार्बाइड आदि)
19. फास्फोरस और इसके मिश्रण
20. अम्ल और उनके लवण (कार्बनिक और अकार्बनिक)
21. नाइट्रोजन मिश्रण (साईनाइड्स, साइनामाइड्स और अन्य नाइट्रोजन मिश्रण)
22. विस्फोटक (जिसमें औद्योगिक विस्फोटक, स्फोटक और फ्यूज) शामिल हैं।
23. थैलिक एनहाइड्राइड
24. प्रक्रियायें, जिनमें क्लोरीनेटेड हाईड्रोकार्बन शामिल हो।
25. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और उनके मिश्रण
26. उर्वरक उद्योग
27. पेपर बोर्ड और स्ट्रा बोर्ड
28. कृत्रिम रेशे
29. कीटनाशी दवाइयाँ, फफूंदनाशी, शाकनाशी तथा जीवनाशी (मूल उत्पादन एवं तैयार करना)
30. बुनियादी दवाई औषधियाँ
31. एल्कोहल (औद्योगिक और पेय)
32. चमड़ा उद्योग जिसमें चर्मशोधन और प्रसंस्करण शामिल है।
33. कोक तैयार करना, कोयला परिशोधन और ईंधन गैस तैयार करने वाले उद्योग
34. फाइबर शीशा उत्पादन और प्रसंस्करण
35. लुगदी-लकड़ी लुगदी मैकेनिकल और रासायनिक (जिसमें घुलनशील लुगदी शामिल है)
36. रंग द्रव्य रंगाई और उनके मध्यवर्ती
37. औद्योगिक कार्बन (ग्रेफाइट, एनोड्स, एनोड्स मिश्रित इलेक्ट्रोड्स सिलाइड ब्लाक, ग्रेफाइट क्रूसिबल्स, गैस कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन कृत्रिम हीरे कार्बन काला, चैनल काला, लैम्प काला आदि सहित)
38. इलेक्ट्रो-रसायन (आरंभ समूह में अन्तर्गत आने वालों को छोड़कर)
39. रंग, एनेमल्स और वार्निश
40. पोली प्रोपलीन
41. पोली विनाइल क्लोराइड
42. प्रदूषण नियंत्रण पर पृथक् प्रौद्योगिकी की सहित प्रमाणन सहित शाफ्ट भट्टा प्रौद्योगिकी सहित सीमेंट)
43. क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स तथा पेरोक्साइड्स
44. पालिश
45. कृत्रिम रेज़िन और प्लास्टिक उत्पाद

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

New Delhi, the 1st February, 1989

NOTIFICATION

Notification under 5(2)(v) of Environment (Protection) Act, 1986, and Rule 5(3)(d) of Environment (Protection) Rules, 1986, restricting location of industries, mining operations and other development activities in the Doon Valley in Uttar Pradesh

S.O. 102(E).—Whereas notification under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (protection) Rules, 1986, inviting objections against the imposition of restriction on location of industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley, in Uttar Pradesh was published vide No. S.O. 923(E), dated the 6th October, 1988;

And whereas all objections received have been duly considered by the Central Government :

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by Clause (d) of sub-rule (3) of Rule (5) of the said rules, the Central Government hereby imposes restrictions on the following activities in the Doon Valley, bounded on the North by Mussoorie ridge, in the North-East by Lesser Himalayan ranges, on the South-West by Shivalik ranges.

river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West, except those activities which are permitted by the Central Government after examining the environmental impacts.

(i) Location/siting of industrial units—It has to be as per guidelines given in the annexure or guidelines as may be issued from time to time by the Ministry of Environment & Forests, Government of India.

(ii) Mining—Approval of the Union Ministry of Environment & Forests must be obtained before starting any mining activity.

(iii) Tourism—It should be as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

(iv) Grazing—As per the plan to be prepared by the State Government and duly approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

(v) Land Use—As per Master Plan of development and Land Use Plan of the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

[No. J-20012/38/86-IA]

K. P. GEETHAKRISHNAN, Secy.

ANNEXURE

Guidelines for premitting/restricting industrial units in the Doon Valley area

Industries will be classified under Green, Orange and Red Categories, as shown below for purposes of permitting/restricting such industrial units in the Doon Valley from the environmental and ecoligical considerations .

CATEGORY GREEN

A. LIST OF INDUSTRIES IN APPROVED INDUSTRIAL AREAS WHICH MAY BE DIRECTLY CONSIDERED FOR ISSUE OF NO OBJECTION CERTIFICATE WITHOUT REFERRING TO (MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS) (IN CASE OF DOUBTS REFERENCE WILL BE MADE TO MINISTRY OF ENVIRONMENTS & FORESTS).

1. All such non-obnoxious and non-hazardous industries employing upto 100 persons. The obnoxious and hazardous industries are those using inflammable, explosive, corrosive or toxic substances.

2. All such industries which do not discharge industrial effluents of a polluting nature and which do not undertake any of the following processes :

Electroplating

Galvanising

Bleaching

Degreasing

Phosphating

Dyeing

Pickling, tanning

Polishing

Cooking of fibres and Digesting

Desining of Fabric

Unhairing, Soaking, deliming and bating of hides

Washing of fabric

Trimming, Pulling, juicing and blanching of fruits and vegetables

Washing of equipment and regular floor washing, using of considerable cooling water

Seperated milk, buttermilk and whey

Stopping and processing of grain

Distillation of alchohol, stillage and evaporation

Slaughtering of animals, rendering of bones, washing of meat

Juicing of sugar cane, extraction of sugar Filteration, centrifugation, distillation

Pulping and fermenting of coffee beans

Processing of fish

Filter back wash in D.M. Plants exceeding 20 K.L. per day capacity

Pulp making, pulp processing and paper making

Cocking of coal washing of blast furnance flue gases,

Stripping of oxides;

Washing of used sand by hydraulic discharge;

Washing of latex etc.

Solvent extraction.

3. All such industries which do not use fuel in their manufacturing process or in any subsidiary process and which do not emit fugitive emmissions of a diffused nature.

Industries not satisfying any one of the three critaria are recommended to be referred to Ministry of Environment & Forests.

The following industries appear to fall in non-hazardous, non-obnoxious and non-polluting category, subject to fulfillment of above three conditions :

1. Atta-chakkies
2. Rice Mullors
3. Iceboxes
4. Dal mills
5. Groundnut decortinating (dry)
6. Chilling
7. Tailoring and garment making
8. Apparl making
9. Cotton and woollen Hosiery
10. Hand loom weaving
11. Shoe lace manufacturing
12. Gold and silver thread and sari work
13. Gold and silver smithy
14. Leather foot wear and leather products excluding tanning & hide processing
15. Manufacture of mirror from sheet glass and photo-frame
16. Musical instruments manufacturing
17. Sports goods
18. Bamboo and cane products (only dry operations)
19. Card Board and paper products (Paper & pulp manufacture excluding)
20. Insulation and other coated papers (Paper & pulp manufacture excluded)
21. Scientific and Mathematical instruments
22. Furniture (Wooden and Steel)
23. Assembly of Domestic electrical appliances
24. Radio assembling
25. Fountain pens
26. Polythene, plastic and P.V.C. goods through extrusion/moulding
27. Surgical gauges and bandages.
28. Railway sleepers (only concrete)
29. Cotton spinning and weaving

30. Rope (cotton and plastic)
31. Carpet weaving
32. Assembly of Air coolers
33. Wires, pipes-extruded shapes from metals
34. Automobile servicing & repair stations.
35. Assembly of Bicycles, baby carriages and other small non-motorized vehicles.
36. Electronics equipment (assembly)
37. Toys
38. Candles
39. Carpentary—excluding saw mill
40. Cold storages (small scale)
41. Restaurants
42. Oil-ginning/expelling (non-hyrogenation and no refining)
43. Ice cream
44. Mineralized water
45. Jobbing & Machining
46. Manufacture of Steel trunks & suit cases.
47. Paper pins & U-clips
48. Block making for printing
49. Optical frames

CATEGORY ORANGE

LIST OF INDUSTRIES THAT CAN BE PERMITTED IN THE DOON VALLEY WITH PROPER ENVIRONMENTAL CONTROL ARRANGEMENT.

1. All such industries which discharge some liquid effluents (below 500 kl/day) that can be controlled with suitable proven technology.

2. All such industries in which the daily consumption of coal/fuel is less than 24mt/day and the particulars emissions from which can be controlled with suitable proven technology.

3. All such industries employing not more than 500 persons.

The following industries with adoption of proven pollution control technology subject to fulfilling the above three condition fall under this category :

1. Lime manufacture—pending decision on proven pollution control device and Supreme Court's decision on quarring.
2. Ceramics
3. Sanitaryware ;
4. Tyres and tubes.
5. Refuse incineration (controlled)
6. Flour mills;
7. Vegetable oils including solvent extracted oils;
8. Soap without steam boiling process and synthetic detergents formulation.
9. Steam generating plants
10. Manufacture of office and house-hold equipment and appliances involving use of fossil fuel combustion.
11. Manufacture of machineries and machine tools and equipment.
12. Industrial gases (only Nitrogen, Oxygen and Co2)
13. Miscellaneous glassware without involving use of fossil-fuel combustion
14. Optical glass
15. Laboratory ware
16. Petroleum storage & transfer facilities.
17. Surgical and medical products including & prophylatics and latex products
18. Foot-wear (Rubber)
19. Bakery products, Biscuits & Confectioners
20. Instant tea/coffee; coffee processing
21. Malted food
22. Manufacture of power driven pumps, compressors refrigeration units, fire fighting equipment etc.
23. Wire drawing (cold process) & bailing straps.
24. Steel furniture, fasteners etc.
25. Plastic processed goods.
26. Medical & Surgical instruments
27. Acetylene (synthetic)
28. Glue & geletine
29. Pottassium permanganate
30. Metalic sodium
31. Photographic films, papers & photographic chemicals
32. Surface coating industries
33. Fragnances, fragours & food additives
34. Plant nutrients (only manure)
35. Aerated water/soft drink.

NOTE :—

(a) Industries falling within the above identified list shall be assessed by the state polution control Board and referred to the Union Department of Environment for consideration, before according No Objection Certificate.

(b) The total number of fuel burning industries that shall be permitted in the Valley will be limited by 8 tonnes per day or Sulphur Dioxide from all sources. (This corresponds to 400 tonnes per day Coal with 1% sulphur).

(c) Siting of Industrial areas should be based on sound criteria.

CATEGORY RED

C. LIST OF INDUSTRIES THAT CANNOT BE PERMITTED IN THE DOON VALLEY

1. All those industries which discharge effluents of a polluting nature at the rate of more than 500 kl/day and for which the natural course for sufficient dillution is not available, and effluents from which cannot be controlled with suitable technology.

2. All such industries employing more than 500 persons/day.

3 All such industries in which the daily consumption of coal/fuel is more than 24 mt/day.

The following industries appear to fall under this category covered by all the points as above :

1. Ferrous and non ferrous metal extraction, refining, casting, forging, alloy making processing etc.
2. Dry Coal Processing/Mineral processing industries like Ore sintering benefication, pelletization etc.

3. Phosphate rock processing plants.
4. Cement plants with horizontal rotary kilns.
5. Glass and glass products involving use of coal.
6. Petroleum refinery.
7. Petro-chemical Industries.
8. Manufacture of lubricating oils and greases
9. Synthetic rubber manufacture;
10. Coal, oil, wood or nuclear based thermal power plants
11. Vanaspati, hydrogeneted vegetable oils for industrial purposes
12 Sugar mills (White and Khandasari)
13. Craft paper mills
14. Coke oven by products and coaltar distillation products
15. Alkalies
16. Caustic soda
17. Potash
18. Electro-thermal products (artificial abrasives, Calcium carbide etc)
19. Phosphorous and its compounds
20. Acids and their salts (organic & inorganic)
21. Nitrogen compounds (Cyanides, cyanamides and other nitrogen compounds)
22. Explosive (including industrial explosives, detonators & fuses)
23. Pthalic anhydride
24. Processes involving chlorinated hydrocarbon
25. Chlorine, flourine, bromine, iodine & their compounds
26. Fertilizer industry
27 Paper board and straw boards
28. Synthetics fibres
29. Insecticides, fungicides, herbicides & pesticides (basic manufacture & formulation).
30 Basic drugs
31. Alchohol (Industrial or potable)
32. Leather industry including tanning and processing
33. Coke making, coal liquification and fuel gas making industries
34. Fibre glass production and processing
35. Manufacture of pulp-wood pulp, mechanical or chemical (including dissolving pulp)
36 Pigment dyes and their intermediates
37 Industrial carbons (including graphite electrodoes, anodes midget electrodes, graphite blocks, graphite crucibles, gas carbons activated carbon, synthetic diamonds, carbon black, channel black, lamp black etc.)
38 Electro-chemicals (other than these covered under Alkali group)
39. Paints, enamels & varnishes
40 Poly propylene.
41. Poly Vinyl chloride
42 Cement with vertical shaft kiln technology pending certification of proven technology on pollution control
43. Chlorates, perchlorates & peroxides
44. Polishes
45. Synthetic resin & plastic products.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989